

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी- उम्मेद सिंह रत्नू, R.A.S

18
1

वाद संख्या 13/2022
अन्तर्गत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. संजय सिहाग पुत्र श्री दौलत राम जाति जाट निवासी ढींगावाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. सुमित स्याग पुत्र श्री दौलत राम जाति जाट साकिन ढींगावाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
3. साहिल सिहाग पुत्र श्री सुरेन्द्र सिहाग जाति जाट साकिन ढींगावाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
4. हिमांशु सिहाग पुत्र श्री अमर सिंह जाति जाट निवासी ढींगावाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।



ब नाम

1. दौलत राम पुत्र श्री लेखराम जाति जाट निवासी ढींगावाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री दौलतराम जाति जाट साकिन ढींगावाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. सरिता पुत्री श्री दौलत राम पत्नी श्री अनिल कुमार जाति जाट निवासी गिदड़ावाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
4. अपेक्षा पुत्री श्री दौलत राम पत्नी श्री सुरेन्द्र जाति जाट निवासी पक्का सहारण तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. अंजू देवी पुत्री श्री दौलत राम पत्नी श्री धर्मवीर जाति जाट निवासी 5 पी बी एन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री लेखराम जाति जाट निवासी ढींगावाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
7. श्रीमती लीलावती पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी ढींगावाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. अमर सिंह पुत्र श्री लेख राम जाति जाट निवासी ढींगावाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
9. श्रीमती अर्चना पत्नी श्री अमर सिंह जाति जाट निवासी ढींगावाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
10. श्रीमती संतरो पत्नी श्री कृष्ण लाल जाति जाट निवासी ढींगावाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
11. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री कृष्ण लाल जाति जाट निवासी ढींगावाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
12. धनराज पुत्र श्री कृष्ण लाल जाति जाट निवासी ढींगावाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
13. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।
14. शाखा प्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक शाखा श्रीगंगानगर

.. प्रतिवादीगण

उपस्थित- श्री संजय जनवेजा
श्री रोबिन गुम्बर
पैरोकार राज
श्री सुशील बिश्नोई

(अधिवक्ता वादीगण)
(प्रति. संख्या 1 ता 12)
(प्रतिवादी-13)
(प्रतिवादी-14)

दिनांक 21 मार्च, 2022

22
2



-निर्णय-

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार वादीगण संख्या 1 व 2 के पिता, प्रतिवादी संख्या 1 दौलत राम के नाम से वाके चक 9 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 71/58 का मुरब्बा नम्बर 15 व 16 की कुल 4.502 है0 नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 563/2251 हिस्सा कृषि भूमि, इसी चक 9 एच एच के खाता संख्या 30/27 के मुरब्बा नम्बर 17 की कुल 2.251 है0 नहरी कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। उक्त सम्पत्ति प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति है। जो कि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त तथा विरासतन प्राप्त सम्पत्ति की आय से अर्जित की हुई है। इस प्रकार उक्त सम्पत्ति जद्दी जायदाद होने के कारण वादी संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हक बनता है। वादी संख्या 3 के पिता, प्रतिवादी संख्या 6 सुरेन्द्र कुमार के नाम से वाके चक 9 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 71/58 का मुरब्बा नम्बर 15 व 16 की कुल 4.502 है0 नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 563/2251 हिस्सा कृषि भूमि, इसी चक 9 एच एच के खाता संख्या 98/74 के मुरब्बा नम्बर 15, 17 की कुल 2.278 है0 नहरी कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। उक्त सम्पत्ति प्रतिवादी संख्या 6 की पैतृक सम्पत्ति है। जो कि प्रतिवादी संख्या 6 को अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त तथा विरासतन प्राप्त सम्पत्ति की आय से अर्जित की हुई है। इस प्रकार उक्त सम्पत्ति जद्दी जायदाद होने के कारण वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 7 का प्रतिवादी संख्या 6 के साथ हक बनता है। वादी संख्या 4 के पिता, प्रतिवादी संख्या 8 अमर सिंह के नाम से वाके चक 9 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 71/58 का मुरब्बा नम्बर 15 व 16 की कुल 4.502 है0 नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1125/4502 हिस्सा कृषि भूमि, इसी चक 9 एच एच के खाता संख्या 3/3 के मुरब्बा नम्बर 16 की कुल 2.252 है0 नहरी मय खाला कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। उक्त सम्पत्ति प्रतिवादी संख्या 8 की पैतृक सम्पत्ति है। जो कि प्रतिवादी संख्या 8 को अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त तथा विरासतन प्राप्त सम्पत्ति की आय से अर्जित की हुई है। इस प्रकार उक्त सम्पत्ति जद्दी जायदाद होने के कारण वादी संख्या 4 व प्रतिवादी संख्या 9 का प्रतिवादी संख्या 8 के साथ हक बनता है। प्रतिवादीगण संख्या 10, 11 व 12 संतरो, राजेन्द्र कुमार व धनराज के नाम से वाके चक 9 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 71/58 का मुरब्बा नम्बर 15 व 16 की कुल 4.502 है0 नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1125/4502 हिस्सा कृषि भूमि, इसी चक 9 एच एच के खाता संख्या 81/11 के मुरब्बा नम्बर 17 की कुल 2.252 है0 नहरी कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। उक्त सम्पत्ति प्रतिवादीगण को बतौर पैतृक सम्पत्ति प्राप्त हुई है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त परिवार होने के कारण इसमें भी वादीगण का हक वा हिस्सा बनता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने अपनी उक्त भूमि का घरू मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा घरू मौखिक बंटवारा के अनुसार मुरब्बा नम्बर 16 व 17 की 3.074 हैक्टेयर भूमि वादी संख्या 1 व 2 को बहिस्सा बराबर, मुरब्बा नम्बर 16 की 3.074 है0 भूमि वादी संख्या 3 को व मुरब्बा नम्बर 15 की 1.265 हैक्टेयर भूमि वादी संख्या 4 को प्राप्त हुई है। जिस पर वादीगण काविज चले आ रहें हैं तथा मौका पर काश्त कर रहें हैं। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण से कहा हुआ है कि जब भी तुम लोग चाहोगें, तुम्हारे हिस्सा की भूमि तुम्हारे नाम करवा देंगे तथा वादीगण संख्या 1 व 2 की बहिनों द्वारा भी वादीगण संख्या 1 व 2 से कहा हुआ है कि वह उक्त भूमि में से कोई हक नहीं लेना चाहती है तथा उन्होने अपने अपने हिस्सा का हक परित्याग अपने अपने भाईयों (वादीगण संख्या 1 व 2) के पक्ष करने का कहा हुआ है। वादीगण ने भारी मेहनत करके व काफी धन आदि खर्च करके अपने रकबा में सुधार कार्य करवाए हैं, वादीगण पढे लिखे व अग्रणी काश्तकार हैं तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर उन्नत खेती करना चाहते हैं, मगर कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम दर्ज ना होने के कारण वादीगण सभी सुविधाओं से वंचित रहते हैं। कुछ दिन पूर्व वादीगण ने प्रतिवादीगण से कहा कि वह वादीगण के हिस्सा की भूमि वादीगण के नाम से अमल दरामद करवा देवे, पहले तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे तथा दिनांक 10.01.2022 को उन्होने सहमति से बंटवारा करने से इन्कार कर दिया है। इसलिए वादीगण के पास माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है। यही वाद कारण है। इस प्रकार वादीगण

सहायक कलक्टर एवं
कार्यालयक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

113/3



द्वारा पैतृक भूमि, जो वाद पत्र में वर्णित है तथा प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है, में से वादीगण को उनके हिस्सा अनुसार खातेदार घोषित किया जाने व पृथक से लगान कायम करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया। वाद पत्र के तथ्यों के समर्थन में जमाबन्दी सम्बत 2072 से 2075 (खाता संख्या 71/58, 3/3, 30/27, 98/74, 81/11) व नामान्तरण संख्या 438, 153, 55, 56, 57 की प्रमाणित प्रतियां संलग्न कर प्रस्तुत की गई।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 13 राज्य पक्ष की ओर से राज्यप्रतिनिधि उपस्थित। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 12 द्वारा स्वयं उपस्थित आकर राजीनामा दिनांक 28.02.2022 प्रस्तुत किया। वादीगण की शिनाख्त अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा के द्वारा तथा प्रतिवादीगण की शिनाख्त अधिवक्ता श्री रोबिन गुम्बर के द्वारा गई। इसके अतिरिक्त वादी एवं प्रतिवादीगण के पहचान के दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न कर प्रस्तुत की गई। अतः राजीनामा प्रमाणित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 12 राज्य पक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा एवं प्रतिवादी संख्या 14 द्वारा जवाब वाद पत्र दिनांक 08.03.2022 प्रस्तुत किया गया।

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई।

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 28.02.2022 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए प्रस्तुत बहस का मनन किया गया। ऐसी स्थिति में, वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत अभिलेख जमाबन्दी सम्बत 2072 से 2075 (खाता संख्या 71/58, 3/3, 30/27, 98/74, 81/11) व नामान्तरण संख्या 438, 153, 55, 56, 57 की प्रमाणित प्रति के आधार पर भूमि पैतृक होना सिद्ध होता है, अतएव पारिवारिक बंटवारा/राजीनामा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण भूमि प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश-12 नियम-6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प-5(1)राज/6/97/10 दिनांक 8-9-97 के अनुसार सहकृषकों में जोत के विभाजन की सहमति हो जाये तो ऐसी सहमति के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपने पिता की पैतृक भूमि में जन्म से ही अधिकार है। इसलिए पुत्र अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है। ए0आई0आर0 1976 एस सी -807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधि0 के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम या ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक महत्त्वता दी गई है। पारिवारिक समझौता धोखा-धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है जिससे विवाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो। मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221-222 के अनुसार संयुक्त परिवार की सम्पत्ति पर भी पुत्र - पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दु परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पत्ति को भी संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पत्ति की श्रेणी में आती है जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवं बंटवारा करवा सकता है। आरआरडी 1981 के पेज 512 एवं 1978 आरआरडी पेज 375 (एच0सी0) में उपरोक्त की पुष्टि की गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19

Division of holding in a suit decreed on the basis of agreement

*If during pendency of a suit for division of holding the co-tenant in the suit के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 के राजीनामा को स्वीकार किया जाता है।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक
(कार्ट रूम) श्रीगंगानगर

12/4



आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 की सहमति/राजीनामा के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 में वादग्रस्त कृषि भूमि का निम्न प्रकार से विभाजन किया जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण संजय सिहाग व सुमित स्याग पि० श्री दौलत राम, श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री दौलतराम जातियान जाट निवासीगण 9 एच एच ढींगावाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) को बहिस्सा बराबर चक 9 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 98/74 का मुरब्बा नम्बर 15 का किला नम्बर 2/1(0.176 है० उत्तरी हिस्सा), 2/2(0.025 है० खाला) कुल 0.201 है० नहरी मय खाला कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 17 का किला नम्बर 5(0.253), 6(0.253), 15 (0.1265 है० उत्तरी हिस्सा) कुल 0.6325 है० नहरी कृषि भूमि, कुल 0.8335 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि व खाता संख्या 81/11 का मुरब्बा नम्बर 17 का किला नम्बर 2/2(0.076), 9(0.253), 10(0.253), 11(0.1265 है० उत्तरी हिस्सा), 12(0.1265 है० उत्तरी हिस्सा) कुल 0.835 है० नहरी कृषि भूमि व खाता संख्या 30/27 का मुरब्बा नम्बर 17 का किला नम्बर 3(0.253), 4(0.253), 7(0.253), 8(0.253), 13(0.1265 है० उत्तरी हिस्सा), 14 (0.1265 है० उत्तरी हिस्सा) कुल 1.265 है० नहरी कृषि भूमि व खाता संख्या 71/58 का मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 10(0.115 है० पश्चिमी हिस्सा), 11(0.114 है० पश्चिमी हिस्सा), 20(0.049 है० पश्चिमी हिस्सा) कुल 0.278 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि, इस प्रकार चारों खातों की कुल 3.2115 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि। हिमांशु सिहाग पुत्र श्री अमर सिंह, अमर सिंह पुत्र श्री लेखराम व श्रीमती अर्चना पत्नी श्री अमर सिंह जाति जाट निवासी 9 एच एच ढींगावाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) को बहिस्सा बराबर चक 9 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 98/74 का मुरब्बा नम्बर 15 किला नम्बर 1/1(0.228 है० नहरी), 1/2(0.025 है० खाला), 2/1(0.052 है० दक्षिणी हिस्सा), 4/1(0.114 है० नहरी), 4/2(0.013 है० खाला), 9(0.253) कुल 0.685 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि व खाता संख्या 71/58 का मुरब्बा नम्बर 15 किला न० 11/2(0.076), 20(0.253), 21(0.227) कुल 0.556 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 25(0.228) कुल 0.228 है० नहरी कृषि भूमि व चक 9 एच एच का खाता संख्या 3/3 का मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 4/1 (0.154 है० नहरी पूर्वी हिस्सा), 4/2(0.018 है० खाला पूर्वी हिस्सा), 5/1(0.228), 5/2 (0.025), 6(0.253), 7(0.172 है० पूर्वी हिस्सा), 14(0.172 है० पूर्वी हिस्सा), 15(0.253), 16 (0.253), 17(0.172 है० पूर्वी हिस्सा), 24(0.158 है० पूर्वी हिस्सा) कुल 1.858 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि, इस प्रकार तीनों खातों की कुल 3.327 हैक्टेयर कृषि भूमि। साहिल सिहाग पुत्र श्री सुरेन्द्र सिहाग, श्रीमती लीलावती पत्नी श्री सुरेन्द्र जातियान जाट निवासीगण 9 एच एच ढींगावाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) को ब०हि०ब० चक 9 एच एच का खाता संख्या 3/3 का मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 4/1(0.074 है० नहरी पश्चिमी हिस्सा), 4/2(0.007 है० खाला पश्चिमी हिस्सा), 7(0.081 है० पश्चिमी हिस्सा), 14(0.081 है० पश्चिमी हिस्सा), 17(0.081 है० पश्चिमी हिस्सा), 24 (0.070 है० पश्चिमी हिस्सा) कुल 0.394 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि व खाता संख्या 71/58 का मुरब्बा नम्बर 16 का किला नम्बर 1/1(0.082 है० नहरी पश्चिमी हिस्सा), 1/2(0.010 है० खाला पश्चिमी हिस्सा), 2/1(0.228), 2/2(0.025), 3/1(0.228), 3/2(0.025), 8(0.253), 9(0.253), 10(0.092 है० पूर्वी हिस्सा), 11(0.093 है० पूर्वी हिस्सा), 12(0.253), 13(0.253), 18(0.253), 19(0.253), 20(0.093 है० पूर्वी हिस्सा), 21(0.083 है० पूर्वी हिस्सा), 22(0.227), कुल 2.704 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि, इस प्रकार दोनों खातों की कुल 3.098 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि। सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री लेखराम जाति जाट साकिन 9 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर को चक 9 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर खाता संख्या 71/58 का मुरब्बा नम्बर 16 का किला नम्बर 23 (0.228) कुल 0.228 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि। दौलत राम पुत्र श्री लेखराम जाति जाट सा० 9 एच एच ढींगावाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर को चक 9 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर खाता संख्या 71/58 का मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 1/1(0.103 है० नहरी पश्चिमी हिस्सा), 1/2(0.012 है० खाला) कुल 0.115 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि। राजेन्द्र कुमार व धनराज पिसरान श्री कृष्ण लाल व सन्तरो

सहायक कलक्टर एवं
कार्यालयक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

AB
C



पत्नी श्री कृष्ण लाल जाति जाट निवासी 9 एच एच ढींगावाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (बहिस्सा बराबर) को चक 9 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या खाता संख्या 81/11 का मुरब्बा नम्बर 17 का किला नम्बर 11(0.1265 है0 दक्षिणी हिस्सा), 12(0.1265 है0 दक्षिणी हिस्सा), 19(0.253), 20(0.253), 21(0.253), 22(0.253), 23/1(0.152) कुल 1.417 है0 नहरी कृषि भूमि व खाता संख्या 30/27 का मुरब्बा नम्बर 17 का किला नम्बर 13(0.1265 है0 दक्षिणी हिस्सा), 14(0.1265 है0 दक्षिणी हिस्सा), 17(0.253), 18(0.253), 23/2(0.101), 24/2 (0.126) कुल 0.986 है0 नहरी कृषि भूमि व खाता संख्या 98/74 का मुरब्बा नम्बर 17 का किला नम्बर 15(0.1265 है0 दक्षिणी हिस्सा), 16(0.253), 24/1(0.127), 25(0.253) कुल 0.7595 है0 नहरी कृषि भूमि व खाता संख्या 71/58 का मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 20(0.065 है0 पश्चिमी-दक्षिणी कोना) 21(0.100 है0 पश्चिमी हिस्सा) कुल 0.165 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि इस प्रकार तीनों खातों की कुल 3.3275 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि। सुरेन्द्र पुत्र श्री लेखराम (0.057 है0), दौलत राम पुत्र श्री लेखराम (0.057 है0), अमर सिंह पुत्र श्री लेखराम (0.057 है0), राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री कृष्ण लाल (0.019 है0) धनराज पुत्र श्री कृष्ण लाल (0.019 है0), सन्तरो पत्नी श्री कृष्ण लाल (0.019 है0) जातियान जाट निवासीगण 9 एच एच ढींगावाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर को :-चक 9 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 71/58 का मुरब्बा नम्बर 16 का किला नम्बर 1/1(0.042 है0 बीच का हिस्सा), 1/2(0.004 है0 खाला बीच का हिस्सा) 10(0.046 है0 बीच का हिस्सा), 11(0.046 है0 बीच का हिस्सा), 20(0.046 है0 बीच का हिस्सा), 21(0.044 है0 बीच का हिस्सा) कुल 0.228 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी तथा उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग-अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी। जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेंगे। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किए जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 21 मार्च 2022 को जारी किया गया।

21/03/22
उम्मेद सिंह रतनू

(आर. ए. एस.)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
कायापत्रकार दफ्तरे न्यायिक
श्रीगंगानगर
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

डिक्री

(ORDER 20 RULE 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी- उम्मेद सिंह रत्नू, R.A.S

AA
7

वाद संख्या 13/2022

अर्न्तगत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. संजय सिहाग पुत्र श्री दौलत राम जाति जाट निवासी ढींगावाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. सुमित स्याग पुत्र श्री दौलत राम जाति जाट साकिन ढींगावाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
3. साहिल सिहाग पुत्र श्री सुरेन्द्र सिहाग जाति जाट साकिन ढींगावाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
4. हिमांशु सिहाग पुत्र श्री अमर सिंह जाति जाट निवासी ढींगावाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

.... वादीगण

ब नाम

1. दौलत राम पुत्र श्री लेखराम जाति जाट निवासी ढींगावाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री दौलतराम जाति जाट साकिन ढींगावाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. सरिता पुत्री श्री दौलत राम पत्नी श्री अनिल कुमार जाति जाट निवासी गिदड़ावाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
4. अपेक्षा पुत्री श्री दौलत राम पत्नी श्री सुरेन्द्र जाति जाट निवासी पक्का सहारण तहसील व जिला हनुमानगढ।
5. अंजू देवी पुत्री श्री दौलत राम पत्नी श्री धर्मवीर जाति जाट निवासी 5 पी बी एन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
6. सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री लेखराम जाति जाट निवासी ढींगावाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
7. श्रीमती लीलावती पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी ढींगावाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. अमर सिंह पुत्र श्री लेख राम जाति जाट निवासी ढींगावाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
9. श्रीमती अर्चना पत्नी श्री अमर सिंह जाति जाट निवासी ढींगावाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
10. श्रीमती संतरो पत्नी श्री कृष्ण लाल जाति जाट निवासी ढींगावाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
11. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री कृष्ण लाल जाति जाट निवासी ढींगावाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
12. धनराज पुत्र श्री कृष्ण लाल जाति जाट निवासी ढींगावाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
13. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।
14. शाखा प्रवन्धक, इलाहाबाद बैंक शाखा श्रीगंगानगर

.. प्रतिवादीगण

उपरिथत- श्री संजय जनवेजा
श्री रोबिन गुम्बर
पैरोकार राज
श्री सुशील विश्नोई

(अधिवक्ता वादीगण)
(प्रति. संख्या 1 ता 12)
(प्रतिवादी-13)
(प्रतिवादी-14)

दिनांक 29 मार्च, 2022

सहायक कलक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर


119
2

वाद संख्या 13/2022

अन्तर्गत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादीगण अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 अधिवक्ता श्री रोबिन गुप्ता, पैरोकार राज प्रतिवादी- 13 तथा प्रतिवादी संख्या 14 अधिवक्ता श्री सुशील बिश्नोई की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि -

वादीगण एवं प्रतिवादीगण संजय सिहाग व सुमित स्याग पि० श्री दौलत राम, श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री दौलतराम जातियान जाट निवासीगण 9 एच एच ढींगावाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) को बहिस्सा बराबर चक 9 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 98/74 का मुख्बा नम्बर 15 का किला नम्बर 2/1(0.176 है० उत्तरी हिस्सा), 2/2(0.025 है० खाला) कुल 0.201 है० नहरी मय खाला कृषि भूमि व मुख्बा नम्बर 17 का किला नम्बर 5(0.253), 6(0.253), 15 (0.1265 है० उत्तरी हिस्सा) कुल 0.6325 है० नहरी कृषि भूमि, कुल 0.8335 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि व खाता संख्या 81/11 का मुख्बा नम्बर 17 का किला नम्बर 2/2(0.076), 9(0.253), 10(0.253), 11(0.1265 है० उत्तरी हिस्सा), 12(0.1265 है० उत्तरी हिस्सा) कुल 0.835 है० नहरी कृषि भूमि व खाता संख्या 30/27 का मुख्बा नम्बर 17 का किला नम्बर 3(0.253), 4(0.253), 7(0.253), 8(0.253), 13(0.1265 है० उत्तरी हिस्सा), 14 (0.1265 है० उत्तरी हिस्सा) कुल 1.265 है० नहरी कृषि भूमि व खाता संख्या 71/58 का मुख्बा नम्बर 16 किला नम्बर 10(0.115 है० पश्चिमी हिस्सा), 11(0.114 है० पश्चिमी हिस्सा), 20(0.049 है० पश्चिमी हिस्सा) कुल 0.278 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि, इस प्रकार चारों खातों की कुल 3.2115 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि। हिमांशु सिहाग पुत्र श्री अमर सिंह, अमर सिंह पुत्र श्री लेखराम व श्रीमती अर्चना पत्नी श्री अमर सिंह जाति जाट निवासी 9 एच एच ढींगावाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) को बहिस्सा बराबर चक 9 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 98/74 का मुख्बा नम्बर 15 किला नम्बर 1/1(0.228 है० नहरी), 1/2(0.025 है० खाला), 2/1(0.052 है० दक्षिणी हिस्सा), 4/1(0.114 है० नहरी), 4/2(0.013 है० खाला), 9(0.253) कुल 0.685 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि व खाता संख्या 71/58 का मुख्बा नम्बर 15 किला न० 11/2(0.076), 20(0.253), 21(0.227) कुल 0.556 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि व मुख्बा नम्बर 16 किला नम्बर 25(0.228) कुल 0.228 है० नहरी कृषि भूमि व चक 9 एच एच का खाता संख्या 3/3 का मुख्बा नम्बर 16 किला नम्बर 4/1 (0.154 है० नहरी पूर्वी हिस्सा), 4/2(0.018 है० खाला पूर्वी हिस्सा), 5/1(0.228), 5/2 (0.025), 6(0.253), 7(0.172 है० पूर्वी हिस्सा), 14(0.172 है० पूर्वी हिस्सा), 15(0.253), 16 (0.253), 17(0.172 है० पूर्वी हिस्सा), 24(0.158 है० पूर्वी हिस्सा) कुल 1.858 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि, इस प्रकार तीनों खातों की कुल 3.327 हैक्टेयर कृषि भूमि। साहिल सिहाग पुत्र श्री सुरेन्द्र सिहाग, श्रीमती लीलावती पत्नी श्री सुरेन्द्र जातियान जाट निवासीगण 9 एच एच ढींगावाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) को ब०हि०ब० चक 9 एच एच का खाता संख्या 3/3 का मुख्बा नम्बर 16 किला नम्बर 4/1(0.074 है० नहरी पश्चिमी हिस्सा), 4/2(0.007 है० खाला पश्चिमी हिस्सा), 7(0.081 है० पश्चिमी हिस्सा), 14(0.081 है० पश्चिमी हिस्सा), 17(0.081 है० पश्चिमी हिस्सा), 24 (0.070 है० पश्चिमी हिस्सा) कुल 0.394 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि व खाता संख्या 71/58 का मुख्बा नम्बर 16 का किला नम्बर 1/1(0.082 है० नहरी पश्चिमी हिस्सा), 1/2(0.010 है० खाला पश्चिमी हिस्सा), 2/1(0.228), 2/2(0.025), 3/1(0.228), 3/2(0.025), 8(0.253), 9(0.253), 10(0.092 है० पूर्वी हिस्सा), 11(0.093 है० पूर्वी हिस्सा), 12(0.253), 13(0.253), 18(0.253), 19(0.253), 20(0.093 है० पूर्वी हिस्सा), 21(0.083 है० पूर्वी हिस्सा), 22(0.227), कुल 2.704 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि, इस प्रकार दोनों खातों की कुल 3.098 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि। सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री लेखराम जाति जाट साकिन 9 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर को चक 9 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर खाता संख्या 71/58 का मुख्बा नम्बर 16 का किला नम्बर 23 (0.228) कुल 0.228 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि। दौलत राम पुत्र श्री लेखराम जाति जाट सा० 9 एच एच ढींगावाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर को चक 9 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर खाता संख्या 71/58 का मुख्बा नम्बर 16 किला नम्बर 1/1(0.103 है० नहरी पश्चिमी हिस्सा), 1/2(0.012 है० खाला) कुल 0.115 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि। राजेन्द्र कुमार व धनराज पिसरान श्री कृष्ण लाल व सन्तरो पत्नी श्री कृष्ण लाल जाति जाट



सहायक कलक्टर एवं
कार्यालयक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्री. को. पा. राजस्थान

3/13

निवासी 9 एच एच ढींगावाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (बहिस्सा बराबर) को चक 9 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या खाता संख्या 81/11 का मुरब्बा नम्बर 17 का किला नम्बर 11(0.1265 है0 दक्षिणी हिस्सा), 12(0.1265 है0 दक्षिणी हिस्सा), 19(0.253), 20(0.253), 21(0.253), 22(0.253), 23/1(0.152) कुल 1.417 है0 नहरी कृषि भूमि व खाता संख्या 30/27 का मुरब्बा नम्बर 17 का किला नम्बर 13(0.1265 है0 दक्षिणी हिस्सा), 14(0.1265 है0 दक्षिणी हिस्सा), 17(0.253), 18(0.253), 23/2(0.101), 24/2 (0.126) कुल 0.986 है0 नहरी कृषि भूमि व खाता संख्या 98/74 का मुरब्बा नम्बर 17 का किला नम्बर 15(0.1265 है0 दक्षिणी हिस्सा), 16(0.253), 24/1(0.127), 25(0.253) कुल 0.7595 है0 नहरी कृषि भूमि व खाता संख्या 71/58 का मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 20(0.065 है0 पश्चिमी-दक्षिणी कोना) 21(0.100 है0 पश्चिमी हिस्सा) कुल 0.165 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि इस प्रकार तीनों खातों की कुल 3.3275 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि। सुरेन्द्र पुत्र श्री लेखराम (0.057 है0), दौलत राम पुत्र श्री लेखराम (0.057 है0), अमर सिंह पुत्र श्री लेखराम (0.057 है0), राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री कृष्ण लाल (0.019 है0) धनराज पुत्र श्री कृष्ण लाल (0.019 है0), सन्तरो पत्नी श्री कृष्ण लाल (0.019 है0) जातियान जाट निवासीगण 9 एच एच ढींगावाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर को :-चक 9 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 71/58 का मुरब्बा नम्बर 16 का किला नम्बर 1/1(0.042 है0 बीच का हिस्सा), 1/2(0.004 है0 खाला बीच का हिस्सा) 10(0.046 है0 बीच का हिस्सा), 11(0.046 है0 बीच का हिस्सा), 20(0.046 है0 बीच का हिस्सा), 21(0.044 है0 बीच का हिस्सा) कुल 0.228 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। अतः डिक्की जारी की जाती है।
रूपये ...शून्यवास्ते...शून्य.खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज..शून्य.....दर वार्षिक ..शून्यआज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 29 मार्च, 2022 को जारी की गयी।

उम्मेद सिंह रतनू
(आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर



वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00



उम्मेद सिंह रतनू
(आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर